तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज **देवाराम बनाम लो.सू.अ. (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर)** सू.अ.अ. अपील संख्या 123 / 2022	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08-06-2022	अपीलार्थी देवाराम. मेघवाल पुत्र प्रेमाराम, पता गांव सरेचा बस स्टेण्ड के पास, तहसील लूणी जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 28.02.2022 में संलग्न प्रार्थना पत्र के अनुसार (1) जिला कलक्टर भू अभिलेख जोधपुर के पत्र कमांक / भू.अ. / रेकर्ड / 2021 / 59.60 दिनांक 03 जनवरी 2022 के संबंध में कार्यालय सचिव जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर एवं कार्यालय तहसीलदार भू.अ. लूणी द्वारा आज दिवस तक की गई कार्यवाही की सम्पूर्ण पत्रावली , से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (जिला कलक्टर जोधपुर कार्यालय) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थीया उपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 675 दिनांक 23.05.2022 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि प्रार्थी के आवेदन पत्र में वर्णित सूचना प्रभारी अधिकारी, भू–अभिलेख अनुभाग कार्यालय हाजा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी देवाराम को इस कार्यालय के पत्रांक 370 दिनांक 29.03.22 द्वारा सूचित किया जा चुका है कि आवेदन पत्र में वर्णित सूचना संबंधित कार्यालयों से अप्राप्त होने के कारण सूचना उपलब्ध करवाई जाना संभव नहीं है। चूंकि लोक सूचना अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी को बिन्दुवार सूचना के बारे में अवगत करवाया जा चुका है अत: अपील इस स्टेज पर निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति [illegible] को सूचनार्थ प्रेषित हो।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Himanshu Gupta
Date: 2023.08.24 18:19:17 IST
Reason: SelfAttested